

परिपत्र :-

विभागीय आदेश क्रमांक एफ 1(7)(01)एसीआर / सान्याअवि / 2018 / 174-300 जयपुर दिनांक 03.04.2018 का अतिक्रमण किया जाकर निदेशालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग / बाल अधिकारिता / विशेष योग्य जन में अलग-अलग पदों पर निदेशालय में पदस्थापित विभागीय / अन्यसेवा के अधिकारियों / कर्मचारियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की पूर्ति हेतु चैनल निर्धारित किया जाता है, निर्धारित चैनल वर्ष 2018-19 से प्रभावी होगा :-

क्र.सं.	पद नाम	प्रतिवेदक अधिकारी	समीक्षक अधिकारी	स्वीकारकर्ता अधिकारी
1.	अतिरिक्त निदेशक / संयुक्त निदेशक(विभागीय) / उपनिदेशक(विभागीय) / सहायक निदेशक (विभागीय) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग / बाल अधिकारिता एवं विशेष योग्य जन	आयुक्त / निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग / बाल अधिकारिता एवं विशेष योग्यजन	अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग / बाल अधिकारिता एवं विशेष योग्य जन	अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग / बाल अधिकारिता एवं विशेष योग्य जन
2.	उपनिदेशक (विभागीय) / सहायक निदेशक (विभागीय) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग / बाल अधिकारिता एवं विशेष योग्य जन	अतिरिक्त निदेशक / संयुक्त निदेशक / उपनिदेशक / सहायक निदेशक (यूनिट प्रभारी) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग / बाल अधिकारिता एवं विशेष योग्य जन	आयुक्त / निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग / बाल अधिकारिता एवं विशेष योग्यजन	अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग / बाल अधिकारिता एवं विशेष योग्य जन
3.	जिला परीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी / परीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी (विभागीय) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग / बाल अधिकारिता एवं विशेष योग्य जन	अतिरिक्त निदेशक / संयुक्त निदेशक / उपनिदेशक / सहायक निदेशक (यूनिट प्रभारी) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग / बाल अधिकारिता एवं विशेष योग्य जन	आयुक्त / निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग / बाल अधिकारिता एवं विशेष योग्यजन	आयुक्त / निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग / बाल अधिकारिता एवं विशेष योग्य जन
4.	संस्थापन अधिकारी / प्रशासनिक अधिकारी / अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी / सहायक प्रशासनिक अधिकारी / वरिष्ठ सहायक / कनिष्ठ सहायक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग / बाल अधिकारिता एवं विशेष योग्यजन	अतिरिक्त निदेशक / संयुक्त निदेशक / उपनिदेशक / सहायक निदेशक (यूनिट / प्रशाखा प्रभारी) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग / बाल अधिकारिता एवं विशेष योग्य जन	अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग / बाल अधिकारिता एवं विशेष योग्य जन	आयुक्त / निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग / बाल अधिकारिता / विशेष योग्य जन
5.	निजी सचिव / वरिष्ठ निजी सहायक / निजी सहायक / आशुलिपिक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग / बाल अधिकारिता एवं विशेष योग्यजन	आयुक्त / निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग / बाल अधिकारिता / विशेष योग्य जन (प्रभारी अधिकारी)	आयुक्त / निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग / बाल अधिकारिता / विशेष योग्य जन	अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग / बाल अधिकारिता एवं विशेष योग्य जन

6	निजी सचिव / वरिष्ठ निजी सहायक / निजी सहायक / आशुलिपिक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग / बाल अधिकारिता एवं विशेष योग्यजन	अतिरिक्त निदेशक / संयुक्त निदेशक / उपनिदेशक / सहायक निदेशक (यूनिट / प्रशाखा प्रभारी), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग / बाल अधिकारिता एवं विशेष योग्य जन	अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग / बाल अधिकारिता एवं विशेष योग्य जन	आयुक्त / निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग / बाल अधिकारिता / विशेष योग्य जन
7	वरिष्ठ लेखाधिकारी / सहायक लेखाधिकारी / लेखाधिकारी-1 एवं / कनिष्ठ लेखाकार / सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग / बाल अधिकारिता एवं विशेष योग्यजन	वित्तीय सलाहकार / अतिरिक्त निदेशक / संयुक्त निदेशक / उपनिदेशक / सहायक निदेशक (यूनिट / प्रशाखा प्रभारी), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग / बाल अधिकारिता एवं विशेष योग्य जन	अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग / बाल अधिकारिता एवं विशेष योग्य जन	वित्त / निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग
8	प्रोग्रामर / सहायक प्रोग्रामर / सूचना सहायक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग / बाल अधिकारिता एवं विशेष योग्यजन	वित्तीय सलाहकार / अतिरिक्त निदेशक / संयुक्त निदेशक / उपनिदेशक / सहायक निदेशक (यूनिट / प्रशाखा प्रभारी) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग / बाल अधिकारिता एवं विशेष योग्य जन	अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग / बाल अधिकारिता एवं विशेष योग्य जन	आयुक्त सूचना एवं प्रौद्योगिक विभाग
9	सांख्यिकी अधिकारी / सहायक सांख्यिकी अधिकारी / संगणक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग / बाल अधिकारिता एवं विशेष योग्यजन	वित्तीय सलाहकार / अतिरिक्त निदेशक / संयुक्त निदेशक / उपनिदेशक / सहायक निदेशक (यूनिट / प्रशाखा प्रभारी) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग / बाल अधिकारिता एवं विशेष योग्य जन	अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग / बाल अधिकारिता एवं विशेष योग्य जन	निदेशक, सांख्यिकी विभाग

(जे.सी.महान्ता)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

क्रमांक एफ 1(7)(01)एसीआर/सान्याअवि/2018/5022-5522

जयपुर, दिनांक : 01-5-2018


प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव उप सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. शासन सचिव, कार्मिक विभाग (क-1/गो.प्र) शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग / सांख्यिकी विभाग / प्रौद्योगिक विभाग / सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।

(2/3)

E/DPC/DPC/Orderos

5. निजी सचिव, निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग/सांख्यिकी विभाग/प्रौद्योगिक विभाग /सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/बाल अधिकारिता/विशेष योग्यजन, जयपुर
6. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक, (प्रशासन/सामाजिक सुरक्षा/अनुसूचित जाति, जनजाति कल्याण) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/बाल अधिकारिता /विशेष योग्यजन, राजस्थान जयपुर।
7. निजी सचिव, आयुक्त एवं निदेशक, सूचना एवं प्रौद्योगिक विभाग/निदेशक कोष एवं लेखा विभाग/निदेशक सांख्यिकी विभाग, जयपुर।
8. वित्तीय सलाहकार /अतिरिक्त निदेशक (लेखा /सांख्यिकी), यूनिट प्रभारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/बाल अधिकारिता /विशेष योग्यजन, राजस्थान जयपुर।
9. उपनिदेशक/सहायक निदेशक /जिला परिचीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी/अधीक्षक गृह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/बाल अधिकारिता /विशेष योग्यजन, मु।
10. संबधित यूनिट/प्रशाखा प्रभारी /प्रशासनिक अधिकारी /कार्यालय अधीक्षक कम सहायक प्रशासनिक अधिकारी (संस्थापन/सामान्य) /लेखाकार भुगतान प्रशाखा, मुख्यावास।
11. संस्थापन प्रशाखा (पी. 1, 2, 3, 4 एवं 5)/डीपीसी/जांच प्रशाखा, मुख्यावास को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. संबधित श्री/श्रीमतीसामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/बाल अधिकारिता /विशेष योग्यजन, मुख्यावास।
13. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यावास को विभागीय वेबसाइट पर संधारित किये जाने हेतु।
14. आदेश पत्रावली।


 निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

(3/3)